न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या – 50/2016

संजूला देवी बनाम राज्य एवं रेखा देवी

– :: आदेश :: –

22-2-18

प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील वाद अपीलार्थी संजूला कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के आंगनवाड़ी वाद संख्या – 21/2014–15 के ज्ञापांक – 408–1 दिनांक 28.04.2015 द्वारा आवेदिका का आंगनवाड़ी केन्द्र बड़सम (मिनी) केन्द्र संख्या – 217, वार्ड संख्या – 05 के सेविका पद से चयन मुक्त किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरुद्ध उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में 319/15 दाखिल किया गया, जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 3226 दिनांक 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका – 10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थी का कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के अपील वाद संख्या – 21/2014–15 में दिनांक 28.04.2015 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील दाखिल किया गया। चूँकि सोनबर्षा प्रखण्ड में ऑगनवाड़ी केन्द्र बड़सम (मिनी) कोड नं० – 217, वार्ड संख्या – 05 की सेविका पद पर विधिवत उन्हें चयनित किया गया था। प्रतिपक्षी रेखा देवी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष इस चयन के विरुद्ध अपील दाखिल कर आरोप लगायी थी कि संजूला कुमारी के पक्ष में गलत मेघा सूची तैयार की गयी, कारण प्रतिपक्षी रेखा देवी को 68% अंक है, जिसके बदले में 61.42% अंक मेघा सूची में दिखलाया गया है। जबकि संजूला कुमारी को 64.88% अंक गलत दिखलाया गया है। प्रतिपक्षी – 3 रेखा देवी ने यह भी आरोप लगाया कि रेखा देवी वार्ड नं० – 5/6 की रहने वाली है, जबकि संजूला कुमारी वार्ड नं०–5 के बदले वार्ड नं०–4 की निवासी है। प्रतिपक्षी – 3 रेखा देवी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष अपील वाद में लगाये गये उल्लिखित आरोपों तथ्यों पर सम्यक विचार किये बिना जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा दिनांक 28.04.2015 को रेखा देवी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी को चयन मुक्त किये जाने संबंधी पारित आदेश पूर्णतया अवैधानिक एवं न्याय के विपरीत है। निम्न न्यायालय इस तथ्य पर भी समुचित विचार नहीं किया कि रेखा देवी ने अपीलार्थी से कम अंक प्राप्त किया है। क्योंकि अपीलार्थी संजूला कुमारी को 61.55% अंक और प्रतिपक्षी – 3 रेखा देवी को 61.42% अंक है। प्रतिपक्षी को 7 अंक (विधवा आरक्षण) का दिया जाना भी उचित नहीं था। (कंडिका–5.5) निम्न न्यायालय अपीलार्थी संजूला कुमारी के आवासीय मुद्दे पर भी सम्यक विचार नहीं किया, जबकि संजूला कुमारी एवं उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित मतदाता सूची, आधार कार्ड, अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, वार्ड सदस्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पूर्व मुखिया एवं निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्गत प्रमाण – पत्रों की छाया–प्रति संलग्न की गयी हैं। प्रतिपक्षी रेखा देवी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष दाखिल अपील में स्वयं स्वीकार कर चुकी है कि वह दोनों वार्ड वार्ड नं०–5 एवं 6 की वासिन्दा है। इसके अतिरिक्त प्रतिपक्षी रेखा देवी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वार्ड नं०–5 में संजुला कुमारी की झोपड़ी है। इसके अतिरिक्त निम्न न्यायालय इस बिन्दु पर भी विचार नहीं किया कि मार्गदर्शिका की कंडिका – 8, 12 के शर्त्त को प्रतिपक्षी रेखा देवी पूर्ण नहीं करती, क्योंकि इनके परिवार के मुखिया यानि उनके श्वसुर योगेन्द्र यादव का नाम वार्ड नं०–5 के मैपिंग पंजी में नहीं है, बल्कि वार्ड नं०–6 के मैपिंग पंजी में दर्ज है।

निदेशिका की कंडिका – 4, 5 में यथा निदेशित प्रतिपक्षी रेखा देवी के पति या श्वसुर का नाम वार्ड नं०–5 के मैपिंग पंजी में नहीं है, बल्कि इनका नाम कई वार्ड नं०–06 के मतदाता सूची में है। समाज कल्याण विभाग के निदेशिका की कंडिका – 4, 5 में निहित निदेश का भी उल्लंघन किया गया है। यहाँ पर उल्लेख करना गलत नहीं होगा कि प्रतिपक्षी – 3 के अनुरोध पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनबर्षा द्वारा महिला प्रसार पदाधिकारी से स्थलीय जाँच करायी गयी थी, जिसमें अपीलर्थी संजूला कुमारी का वार्ड नं०–5 का स्थायी निवायी पाया गया, जबकि प्रतिपक्षी–3 रेखा कुमारी वार्ड नं०–5 की निवासी नहीं पायी गयी। साक्ष्य स्वरूप जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न की गयी है। अन्ततः आवेदिका ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा 28.04.2015 को पारित आदेश को निरस्त कर तत्काल इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाने की याचना की है।

अपीलार्थी संजूला कुमारी ने अपने लिखित बयान में कहा है कि अपीलार्थी आम सभा में चयनित सेविका थी, जिसके विरुद्ध प्रतिपक्षी रेखा देवी द्वारा मात्र दो आधार पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था, जो निम्नवत् है :–

1. वर्त्तमान अपीलार्थी संजूला कुमारी का घर संबंधित वार्ड नं०–05 में नहीं है।
2. वर्त्तमान अपीलार्थी संजूला कुमारी की मेघा सूची में गलत ढ़ंग से प्रतिवादी – 3 रेखा देवी से अधिक अंक दिखाया गया है।

22-2-18

उल्लिखित बिन्दुओं पर अपीलार्थी का कथन है कि मार्ग–दर्शिका के कण्डिका – 4.5 के अनुसार सक्षम पदाधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनबर्षा द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र, निर्वाचन सूची, राशन कार्ड कूपन सूची आदि जो सरकार से मान्यता प्राप्त साक्ष्य है, आवेदन के साथ संलग्न की गयी, लेकिन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के इन मान्य दस्तावेजों को नजर अंदाज करते Mandatory documents as कंडिका 4.5 का उल्लंघन करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनबर्षा के पत्रांक – 589 दिनांक 28.11.2013 को आधार बनाया, जो वस्तुतः प्रतिवादी संख्या – 3 रेखा देवी के आवेदन पर उनका नाम मैपिंग पंजी में जोड़ने हेतु था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या – 3 रेखा देवी स्वयं अपने अपील के पाराग्राफ–8, पेज – 4 में स्वीकार की है कि अपीलार्थी संजूला कुमारी का वार्ड नं०–5 में झोपड़ी अवस्थित है। अग्रतर अपीलार्थी ने कहा है कि दोनों पक्षों के मेघा सूची से ही स्पष्ट है कि प्रतिवादी रेखा देवी का मेघा अंक संबंधी आरोप गलत है। आगे यह भी कहा गया है कि भारत सरकार के आवास संबंधी मान्य दस्तावेजों, अंचलाधिकारी से प्राप्त आवासीय प्रमाण पत्र/भोटर कार्ड/राशन कार्ड इत्यादि को छोड़कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा ऐसे प्रतिवेदन को आधार बनाया गया है, जो आवासीय जाँच से संबंधित भी नहीं था, बल्कि मैपिंग पंजी में नाम जोड़ने हेतु आवेदन पत्र समर्पित प्रतिवेदन है।

प्रतिपक्षी रेखा देवी का कहना है कि उन्होंने आंगनवाड़ी सेविका पद का चयन हेतु आवेदन दिया था। वह वार्ड नं०–5 की स्थानी निवासी है तथा इनका नाम मैपिंग पंजी में दर्ज है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनबर्षा के पत्रांक – 589 दिनांक 28.11.2013 से भी इसकी सम्पुष्टि होती है। प्रतिपक्षी इन्टरमीडिएट पास, विधवा, विकलांग है और अतिरिक्त विषय के अंक को छोड़कर वह 61.42 प्रतिशत अंक प्राप्त की है। ग्राम–बड़सम के मतदाता सूची में भी प्रतिपक्षी का नाम है। इस तरह आंगनवाड़ी वाद 21/2014–15 में उनके पक्ष में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी बड़सम गाँव के वार्ड संख्या – 4 की स्थायी निवासी है, क्योंकि अपीलार्थी के पति सच्चिदानन्द यादव का नाम वार्ड नं०–4 के बी०पी०एल० क्रमांक – 882 पर दर्ज है। इनका घर भी खाता नं०–206, खेसरा नं०–1786, वार्ड नं०–4 में अवस्थित है तथा इन्दिरा आवास हेतु इन्होंने 10,000.00 की राशि भी प्राप्त की है। अपीलार्थी द्वारा मैट्रिकुलेशन में अतिरिक्त विषय के अंक को हटाये बिना साठ–गांठ कर मेघा सूची तैयार करवा लिया और सेविका पद पर बहाल हो गयी, जिसे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपील वाद संख्या–21/2014–15 में निरस्त कर दिया। अपील में कोई तथ्य नहीं है तथा यह खारीज करने योग्य हैं। प्रतिपक्षी द्वारा लिखित जबाव में जो कहा गया है, उसके अलावे अपील वाद के किसी भी आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। प्रतिपक्षी का यह कहना है कि रेखा देवी के अनुरोध पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा महिला प्रसार पर्यवेक्षिका, सोनबर्षा से करायी गयी जाँच में संजूला कुमारी के वार्ड नं०–5 की निवासी तथा रेखा देवी के वार्ड नं०–5 की निवासी नहीं पाये जाने संबंधी तथ्य गलत है। अग्रतर संजूला कुमारी गोतनी रूवी कुमारी, पति कृष्णानन्द भगत, बड़सम गाँव के वार्ड नं०–4 की सेविका है और इस आधार पर भी संजुला कुमारी चयन के अयोग्य हो जाती है। संजूला कुमारी के पति एवं रेखा देवी के परिवार के सदस्यों के बीच पुरानी दुश्मनी है और तत्कालीन मुखिया एवं बी०एल०ओ० द्वारा 2006 के मतदाता सूची से इनका नाम हटा दिया गया। रेखा देवी के परिवार के सदस्यों द्वारा संजूला कुमारी के पति के विरुद्ध सनहा दर्ज कराया गया था, जिसका सनहा नं०–161, दिनांक 14.02.1996 है। वर्ष 2006 से पहले वार्ड नं०–5 के मतदाता सूची के क्रमांक – 347, 1340, 212 पर रेखा देवी का नाम दर्ज है। संजूला कुमारी के गोतनी सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत है। अन्ततः रेखा देवी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए संजूला कुमारी के पुनरीक्षण वाद को खारिज करने की याचना की है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। चूँकि प्रस्तुत वाद में मुख्य विषय उभय पक्षों के वार्ड नं०–05 के निवासी होने या नहीं होने से संबंधित है और दोनों ही पक्षों ने एक–दूसरे के विरुद्ध विरोधाभासी साक्ष्य दिये है। जिससे दोनों पक्षों की योग्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है।

अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० के वाद संख्या – 21/2014–15 में दिनांक 28.04.2015 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० को निदेश दिया जाता है कि उक्त आंगनवाड़ी केन्द्र पर नये सिरे से चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करें। मूल अभिलेख वापस की जाती हैं।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

22.7.15

जिलाधिकारी,
सहरसा।

22.7.15

जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1118-2 / विधि, सहरसा, दिनांक- 27-07-2012

प्रतिलिपि- मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी० डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

27.07.012